

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 297

दिनांक:- 14.10.25

प्रकरण सं.:-

262/2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सोहन भाटी व भू.अ.
नि. ड/ड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोहन की टोली
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 46
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>सोहन की टोली</u>	<u>46</u>	<u>4</u>	<u>सोहन पुत्र मांगीलाल</u>	<u>सोहन लाल शर्मा पुत्र मांगीलाल</u>

समदरसिंह भाटी

(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 14.10.25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 298-300

प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
सोहन लाल शर्मा / मांगीलाल
- प्रार्थी तहसील सिणधरी को सूचनाथ।
- रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह भाटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी